	[illegible]	
19-1-18	वुकलाये फरीकैन उप०। बहस प्रा० पत्र 0 22 R-4 CPC पर सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 23-1-18 को पेश हो।	1146/2001 रामनारायण — [illegible]
23-1-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत। वकील अपीलांट ने बहस प्रा० पत्र में कथन किया कि रेस्पो० सं० 6 श्री० मन्नी बेवा मुरवा का देहान्त करीब 4 वर्ष पूर्व हो गया। जिसके वारसान पहले से रेस्पो० सं० 3 से 5 दर्ज है।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्य कोई वारिस नही है। रेस्पो०सं०
7 मु० चावली स्त्री सोन्या का देहान्त
करीब 6 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका
जिसके वारिस पहले से रेकार्ड पर
मौजूद है। रेस्पो० सं० 6 व 11 के अलावा
अन्य कोई वारिस नही है। रेस्पो०सं०
12 रूड़ा पुत्र चासी का देहान्त 5 वर्ष
पूर्व हो गया तथा रेस्पो० सं० 13
लखु पुत्र चासी का देहान्त 10 वर्ष
पूर्व हो गया। जिनके वारिसान को
रेकार्ड पर लिया जावे। बहस में
अपीलार्ट ने निवेदन किया कि अपीलार्ट
ग्रामीण परिवेश के जिससे कानून
की जानकारी नहीं रही। अतः
जानकारी होने पर यह प्रा० पत्र मय
शपथ पत्र पेश किया है जिसे
स्वीकार किया जावे तथा रेस्पो०
6 व 7 का नाम हजफ किया जावे
तथा रेस्पो० सं० 12 व 13 के कायमुकाम
को रेकार्ड पर लिया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो० ने बहस
में निवेदन किया कि अपीलार्ट ने
यह प्रा० पत्र जानबूझ कर मियाद
के बाहर पेश किया। प्रा० पत्र
खारिज किया जाकर अपील
अबेट की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई।
प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया।
अपीलार्ट ने रेस्पो० सं० 6 व 7 का देहान्त
4 वर्ष व 6 वर्ष पूर्व होना तथा रेस्पो०
सं० 12 का देहान्त 5 वर्ष पूर्व तथा रेस्पो०

अपील में एक पक्षकार न होकर कुल अपीलांट है यदि कुछ कमजोर कोहर पेश की गये तो और भी अपीलांट थे तथा मृतक रेस्पो० कम से कम 4 वर्ष पहले खत्म हो गये। अपीलांट ने कहीं दर्ज नहीं किया कि वो मृत्यु ही चाहे रहे है। अपीलांट ने विलम्ब का जो कारण दिया वह सन्तोषप्रद नहीं है। नजीर 2017(3) DNJ (राज०) पेज-1054 राज० उच्च न्यायालय में वर्णित तथ्य लागू होते हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक रहना चाहिये तथा प्रकरण में होने वाली कार्यवाही के बारे में सूचना ~~रखना~~ रखवा जाना आवश्यक है। विलम्ब माफी का भी कोई उचित कारण नहीं है। नजीर AIR 1970 (कलकत्ता) पेज 99, AIR 1963 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 553 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण में सम्पूर्ण अपील ही अबैट होगी क्योंकि अपील में सभी अपीलांट्स का संयुक्त हित निहित है।

अतः अपीलांट का प्रा० पत्र O22 R 4 एवं 9 CPC खारिज किया जाकर अपीलांट की अपील अबेट की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल